

# पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनके आर्थिक संकटों को कम करना है, ताकि वे कृषि कार्यों के लिए आवश्यक निवेश कर सकें और अपनी जीवनशैली में सुधार कर सकें।

## पीएम सम्मान निधि योजना की मुख्य विशेषताएँ:

### 1. वित्तीय सहायता:

इस योजना के तहत, योग्य किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में, ₹2,000 प्रत्येक, सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

### 2. लक्षित लाभार्थी:

योजना का लाभ कृषि भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है। पात्रता में विशेष रूप से छोटे किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है) को ध्यान में रखा गया है।

### 3. किसानों के परिवार:

यह योजना किसान परिवार के मुखिया को लाभ देती है। इसके तहत पति और पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है यदि वे दोनों कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और भूमि के मालिक हैं।

#### **4. आवेदन प्रक्रिया:**

किसानों को योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट (<https://pmkisan.gov.in>) पर किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए, किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या सहकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय, किसानों को भूमि दस्तावेज़, आधार कार्ड, और बैंक खाता जानकारी प्रदान करनी होती है।

#### **5. पात्रता मानदंड:**

केवल छोटे और सीमांत किसान परिवार जिन्हें 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। सभी श्रेणी के किसान (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत या पेंशन प्राप्त व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।

#### **6. ऋण और बैंकों से समर्थन:**

पीएम किसान योजना का एक उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन खरीदने में मदद मिलती है।

#### **पीएम सम्मान निधि योजना के लाभ:**

**आर्थिक सहायता:** इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में ₹6,000 की वार्षिक सहायता मिलती है, जिससे उनके कृषि कार्यों की लागत को पूरा करने में मदद मिलती है।

**कृषि उत्पादकता में वृद्धि:** किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने से वे उर्वरक, बीज, और कृषि उपकरण खरीदने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है।

**गरीबी उन्मूलन:** यह योजना किसानों के लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन सकती है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सकता है और कृषि कार्यों को लाभकारी बनाया जा सकता है।

**सशक्त किसान:** आर्थिक मदद के कारण किसान अपने कृषि कार्यों में आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं।

### **निष्कर्ष:**

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें कृषि कार्यों में मदद देना, और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। यह योजना कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में भी मददगार है।